

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, मध्यप्रदेश
परिपत्र

क्रमांक चार-3/ २०१४ / भण्डार/2016 जबलपुर,
प्रति,

दिनांक 17-03-2016

- 1- कमाण्डेन्ट,
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,
होमगार्ड मंगेली,
जबलपुर ।
- 2- समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड मध्यप्रदेश ।
- 3- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड मध्यप्रदेश ।

विषय- भण्डार सत्यापन/निष्प्रयोज्य एवं शस्त्र सत्यापन मण्डल के प्रतिवेदन पर वाईट इंक का उपयोग न करने वावत् ।

—00—

प्रायः देखा गया है, कि भण्डार सत्यापन/निष्प्रयोज्य एवं शस्त्र सत्यापन मण्डल की कार्यवाही के प्रतिवेदन पर वाईट इंक (सफेदा) का उपयोग किया जाता है, जो पूर्णतः वर्जित है। संभवतः आपके अधीनस्त जिला इकाईयों के भण्डार में संधारण लेजरों पर भी वाईट इंक का उपयोग होता होगा, जो उचित नहीं इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाकर भविष्य में वाईट इंक (सफेदा) उपयोग न किया जाये यह सुनिश्चित करें।

साथ ही कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड मंगेली जबलपुर एवं डिवीजनल कमाण्डेन्टों को निर्देशित किया जाता है, कि भण्डार सत्यापन मण्डल के समय जिला इकाईयों में संधारित किये जा रहे लेजरों का भी अवलोकन करें, कि उन पर भी वाईट इंक का उपयोग किया गया है अथवा नहीं किया गया यदि किया गया है, तो इस संबंध में संबंधित जिला सेनानी का स्पष्टीकरण लेवें तथा प्रतिवेदनों के साथ संलग्न करें।

अतः उक्त निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से पालन करें।

(डी०जी० महोदय द्वारा आदेशित)

P.B. 17/03/16
कृते डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

आन्तरिक

पी०एस०टू०डी०जी०

पी०एस०टू०ए०डी०जी०

पी०एस०टू०आई०जी०

पी०एस०टू०ए०सी०जी०

एस०एस०ओ०(स्था०वित्त)

जे०एस०ओ०(स्था०वित्त)

समस्त सहायक/सहायक अधीक्षक

दिनांक 17/03/16